न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 2/2013 (आवन्टन निरस्तीकरण)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

——प्रार्थी.

बनाम

1. गोपीराम पुत्र रूघनाथ गुर्जर निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 रवि पुत्र गोपीलाल
   1/2 पुष्पा बाई पत्नि गोपीलाल
   1/3 विक्रम पुत्र गोपीलाल
   1/4 गायत्री पुत्री गोपीलाल
   1/5 सावित्री पुत्री गोपीराम
   सर्व जाति गुर्जर निवासीगण बनियानी तह0 लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

——अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970के नियम 14(4) के अन्तर्गत सपठित मीडियम माइनर आवंटन नियम 1968 के तहत आवंटन निरस्तीकरण

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

उपस्थिति

श्री महावीर प्रसाद सेन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक –26/02/2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री गोपीराम पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी बनियानी को ग्राम बनियानी के खसरा नम्बर 1211/0.52 हे0, 1212/0.24 हे0 कुल रकबा 0.76 हे0 को ग्राम बनियानी में दिनांक 24.6.89 को कीमतन आवंटन हुई थी । जिसकी राशि मूल व ब्याज नियमानुसार बकाया है । बकाया राशि जमा कराने बाबत आवंटी को बार बार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाई गई है । उसने राशि जमा कराने की पुष्टि में कोई चालान / रसीद भी पेश नहीं की है । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा भी नहीं किया गया है । आवंटी ने बकाया राशि जमा नहीं कराकर आवंटन सम्बन्धी शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें ।

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की मृत्यु होने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये, कायम मुकामान की ओर से श्री महावीर सेन एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ एवं अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी श्री गोपीराम पिता रघुनाथ गुर्जर निवासी बनियानी को ग्राम बनियानी के खसरा नम्बर 1211/0.52 हे0, 1212/0.24 हे0 कुल रकबा 0.76 हे0 को ग्राम बनियानी में दिनांक 24.6.89 को कीमतन आवंटन हुई थी । जिसकी राशि मूल व ब्याज नियमानुसार बकाया है । बकाया राशि जमा कराने बाबत आवंटी को बार बार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाई गई है । उसने राशि जमा कराने की पुष्टि में कोई चालान / रसीद भी पेश नहीं की है । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा भी नहीं किया गया है । आवंटी ने बकाया राशि जमा नहीं कराकर आवंटन सम्बन्धी शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं बहस में कथन किया है कि दिनांक 24.6.89 को भूमि ख0नं0 1211/0.52 हे0, 1212/0.24 हे0 वाके ग्राम बनियानी तह0 लाडपुरा में गोपीलाल जी को आवंटन हुई थी और आवंटन पश्चात मौके पर दखल दिया गया और गोपीलाल के गैर खतेदारी में दर्ज की गई, जिसकी सम्पूर्ण राशि भी जमा हो चुकी है और आवंटन शर्मो की पूर्ण रूप से पालना आवंटी द्वारा की गई है तथा गोपीलाल आवंटी अपने जीवन काल में उक्त आवंटित भूमि पर काबिज काश्त रहे है और उनके सवर्गवास उपरान्त उनके वारिसान की हैसियत से अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज कश्त करते चले आ रहे है ओर आज भी कब्जा अप्रार्थीगण का ही है इसलिये उक्त भूमि का आवंटन नियम 14(4) के तहत कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है । भूमि का आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और एडवर्स एजेशन के आधार पर भी अप्रार्थीगण को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । यद्यपि आवंटित भूमि के पेटे कोई आवंटन राशि बकाया नहीं है ओर यदि फिर भी कोई राशि बकाया निकले तो वह भी अप्रार्थीगण अविलम्ब जमा कराने को तैयार है । साथ ही माननीय भूमिधारी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मृतक व्यक्ति के खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वतः ही खारिज योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 24.6.89 बहाल रखा जावें ।

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

5. हमने पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की ख0नं0 1211/ 0.52 हे0, 1212/0.24 हे0 को भूमि लघु/मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र की होने से भूमि आवंटन कीमतन किया गया गया था । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटी की ओर से भूमि की कीमत मूल राशि व ब्याज नियमानुसार जमा नही करवाई जाने से उसे बार बार नोटिस भिजवाने के उपरान्त भी राशि जमा नही करवाई है । इस प्रकार आवंटी

Scanned by CamScanner

द्वारा आवंटन नियमों का उल्लघंन किया है । आवन्टी द्वारा कीमत भूमि की मूल राशि व ब्याज नियमानुसार जमा नही करवाई है । ऐसी स्थिति में कीमतन भू आवंटन की कीमत भूमि अदा नही किए जाने की स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है । साथ ही आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है, इस बाबत अप्रार्थी की ओर से कब्जे की पुष्टि में कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है । प्रस्तुत प्रकरण मे आवंटन आदेश पुराना है और उसका अमल दरामद हो चुका है इसलिये उक्त आवंटन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है ।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की भूमि ख0नं0 1211/0.52 हे0, 1212/0.24 हे0 किता–2 रकबा 0.76 हे0 का दिनांक 24.06.89 को गोपीराम पुत्र रूघनाथ गुर्जर निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के हक में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा आवंटन निरस्तीकरण आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजहित मे उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार लाडपुरा को भेजी जावे ।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner